



**महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर(राज.)**  
**अस्थाई कार्यालय - एम. एस. जे. महाविद्यालय परिसर, भरतपुर-321001**  
**Ph. No. 05644-220560, Email- brijuniversitybtp@gmail.com**  
**website : [www.brijuniversity.ac.in](http://www.brijuniversity.ac.in)**

क्रमांक : प.1(25)मसूबूवि / स्था / 2017 / 3039

दिनांक : 15.03.2017

**विज्ञापन संख्या : 01 / संस्था. / 2017**

राजस्थान सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को स्वीकृत निम्नलिखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 18.03.2017 से आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। आवेदन की अन्तिम तिथि 20.04.2017 है। अधिक जानकारी के लिये विश्वविद्यालय की बेबसाइट [www.brijuniversity.ac.in](http://www.brijuniversity.ac.in) देखें।

क्रम संख्या	पदनाम एवं रनिंग पे बैण्ड (ग्रेड पे)	कुल रिक्तियाँ	रिक्तियों का विवरण
			अनारक्षित (सामान्य)
1.	विधि सहायक [9300-34800 (4800)]	01	01
2.	स्टेनोग्राफर हिन्दी एवं अंग्रेजी (एक पद अंग्रेजी के लिये आरक्षित) [9300-34800 (3600)]	03	03

सामान्य से तात्पर्य पुरुष एवं महिला वर्ग, दोनों से है।

**कुलसचिव**

# विज्ञापित पदों हेतु पात्रता एवं भर्ती प्रक्रिया सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है :—

1.	<p><b>Legal Assistant</b></p> <p><b>Pay Band of Rs.9300-34800 (Grade Pay Rs.4800) or as amended from time to time.</b></p> <p><b>1. Essential Qualifications</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• The incumbent should have passed three year LL.B. Course/ LL.B. Five Years Course from any recognised University/ Institution., and</li><li>• LLM or Two year Law practice in Court.</li></ul> <p><b>2. Mode of Selection</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) The selection will be based on interview only.</li><li>(b) <i>In case the number of applicants are very large than the number of posts advertised, then written test will be conducted for shortlisting the candidates for interview.</i></li><li>(c) The number of candidates called for interview shall be 10 times of the number of posts to be filled-in in the category in case of short-listing.</li><li>(d) The scheme of the examination for written test will be prescribed by the University from time to time with the approval of the Syndicate in this regard.</li></ul> <p><b>Age limit:</b> Not exceeding 35 Yrs. (40 years in case of SC/ ST/ differently-abled category/ women candidates). Age will be calculated as on 1st July of the year of advertisement.</p> <p><b>In case written test become necessary it will be held as under:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Phase-I</b></p> <p><b>Paper – I: - 2 Hrs.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) Verbal and Communication Ability in English (50 Questions):150 Marks</li><li>(ii) Verbal and Communication Ability in Hindi (50 Questions) : 150 Marks</li></ul> <p><b>Paper –II: - 3 Hrs.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) Legal Aptitude (100 Questions) : 300 Marks</li><li>(ii) Logical reasoning and data Interpretation (50 Questions) : 150 Marks</li></ul> <p><b>Phase -II</b></p> <p><b>Interview : 150 Marks</b></p> <p><b>Note :-</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) Each MCQ question shall contain four answer options and the candidate shall be required to select one option as his/her correct answer and mark in the OMR answer sheet by darkening the respective circle with blue/ black ball point pen. Darkening multiple marks in the OMR sheet will be treated as wrong answer. Each correct answer will be awarded three marks and one mark will be deducted for wrong or multiple answers.</li><li>(ii) In case of equal marks in the written test the one who has secured higher percentage of marks in LL.B. examination will be considered higher in merit. In case of equal marks and equal percentage in the LL.B. examination the one born earlier will be considered higher in merit.</li><li>(iii) Wherever Interview is involved, the candidate shortlisted in Unreserved Category for the Interview will only be considered for the post in Unreserved Category, however for short-listing for Unreserved Category all candidates will be considered.</li></ul>
----	--

**2. Stenographer :****• Essential Qualifications :**

Graduation from any University/Institution recognized by Government of Rajasthan /Others.

**1. English Shorthand :**

Dictation of 100 words per minutes and 40 words per minutes in English typewriting.

**2. Hindi Shorthand :**

Dictation of 80 words per minutes and Hindi typewriting.

**• Mode of Selection**

Competitive examination for the posts of Stenographers/Stenographers Grade-II shall consist of the subject given in two alternative Group A and B. A candidate shall be required to pass the subject group of the post applied and required to pass Group C compulsorily:-

**Group – A (English)**

English Shorthand Test:

	<b>Paper</b>	<b>Duration</b>	<b>Marks</b>
1.	Dictation of 100 words per minutes	6 Minutes	100
2.	Transcription and typing of dictated passage in English on Computer	50 Minutes	

**Group – B (Hindi)**

Hindi Shorthand Test:

	<b>Paper</b>	<b>Duration</b>	<b>Marks</b>
1.	Dictation of 80 words per minutes	6 Minutes	100
2.	Transcription and typing of dictated passage in Hindi on Computer	50 Minutes	

**Group - C**

Computer Test:

	<b>Paper</b>	<b>Duration</b>	<b>Marks</b>	<b>Minimum Marks</b>
1.	Speed Test	10 Minutes	50	20
2.	Efficiency Test	10 Minutes	50	20

- Minimum speed should be 8000 key depressions per hour on computer.
- The Language of Speed and Efficiency Test would be same as the Language of Shorthand Test.
- The marks in the Speed Test shall be awarded as per the following formula:  

$$(20/8000) \times \text{Net Speed} (\text{in depressions per hour})$$
- Syllabus for Efficiency Test shall be as follows:
  1. The test may be taken on word processing software.
  2. It shall include formatting of text, paragraph, page and table using proper methods.
  3. Formatting of letter.

**NOTE: The font for Shorthand and Computer Test shall be "Kruti Dev 010" for Hindi and "Calibri" for English.**

**INTERVIEW**

Interview shall be held after declaration of result of Shorthand & Computer Test and number of candidates to the extent of five times of number of vacancies shall be called for Interview.

## आवेदन करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. अभ्यर्थी भारतीय नागरिक ही हों।
2. आवेदन पत्र एवं भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की बेबसाइट [www.brijuniversity.ac.in](http://www.brijuniversity.ac.in) से डाउनलोड करें।
3. इस विज्ञप्ति के प्रसारण एवं चयन प्रक्रिया के समापन तक रिक्तियों में विधिक तौर पर कोई अन्तर आने की स्थिति में रिक्त पदों की गणना चयन प्रक्रिया के समापन के समय की जायेगी।
4. पदों की संख्या में कमी एवं बढ़ोत्तरी का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
5. प्रत्येक पद के लिए पृथक—पृथक आवेदन—पत्र भरा जाएगा एवं शुल्क भी प्रत्येक आवेदित पद के लिए अलग से देय होगा।
6. आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए।
7. आवेदन—पत्र मय महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों, यथा— शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव आदि की समुचित पठनीय स्वप्रमाणित फोटोकॉपी सहित अन्तिम तिथि तक कार्यालय, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर में जमा हो जाने चाहिये।
8. राजस्थान राज्य से बाहर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी नॉन—क्रीमिलेयर व विशेष योग्यजन अभ्यर्थी, राजस्थान सरकार की आरक्षण नीति के नियमों के अनुसार आरक्षण हेतु पात्र नहीं होंगे अतः उन्हें अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत ही माना जावेगा।
9. आवेदन शुल्क :— आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क निम्नानुसार देय होगा। आवेदन शुल्क का डी.डी. कुलसंचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के नाम से देय होगा।

क्र.सं.	प्रवर्ग	आवेदन शुल्क (रुपए)
1.	सामान्य संवर्ग अभ्यर्थी	1000/-
2.	राजस्थान के एस.सी./एस.टी./ओबीसी नॉन—क्रीमिलेयर अभ्यर्थी	500/-
3.	विशेष योग्यजन (शारीरिक विकलांग/दिव्यांग) अभ्यर्थी	शून्य

**नोट :** राजस्थान राज्य से अन्य भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी नॉन—क्रीमिलेयर के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का आवेदक माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क देना होगा।

10. आवेदक की न्यूनतम आयु, दिनांक 01.01.2017 को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
11. उक्त पदों पर भर्ती के लिए छँटनी (short-listing) हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया का निर्धारण किये जाने तथा बिना कारण निर्दिष्ट किए विज्ञापित पद पर भर्ती नहीं करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा।
12. उक्त पदों हेतु चयन प्रक्रिया में हुई चूक अथवा त्रुटि के ज्ञात होने की स्थिति में, किसी भी स्तर (stage) पर, यहाँ तक कि नियुक्ति—पत्र जारी होने के पश्चात् भी, अभ्यर्थी को प्रदत्त/जारी किसी भी संचारण अथवा पत्र—व्यवहार को संशोधित, वापस लेने अथवा निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा।
13. किसी प्रकार के डाक विलम्ब तथा साक्षात्कार के आयोजन एवं परिणाम एवं साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित नहीं करने के कारणों के सम्बन्ध में किसी प्रकार के पत्र—व्यवहार पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। सम्बन्धित जानकारी हेतु आवेदक नियमित रूप से विश्वविद्यालय वेबसाइट का निरीक्षण करें।

14. उक्त पदों हेतु नियुक्तियाँ परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में होगी एवं इस अवधि में उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप समेकित वेतन देय होगा। विश्वविद्यालय नियमानुसार वेतन संरक्षण (Pay Protection) का लाभ देय होगा।
15. उक्त पदों हेतु वर्तमान में परिवीक्षा अवधि में देय मासिक समेकित वेतन निम्नानुसार हैः—

क्र.सं.	पद का नाम	न्यूनतम मासिक समेकित वेतन (रुपए)
1.	विधि सहायक	17230/-
2.	स्टेनोग्राफर (हिन्दी / अंग्रेजी)	13200/-

16. सफलतापूर्वक परिवीक्षा प्रशिक्षु अवधि पूर्ण होने के उपरान्त कार्मिक को नियमानुसार वेतन शृंखला का न्यूनतम वेतन देय होगा। वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु उक्त परिवीक्षाधीन (प्रशिक्षु) अवधि की गणना नहीं की जाएगी।
17. केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ओबीसी नॉन-क्रीमिलेयर / विशेष योग्यजन अभ्यर्थी, आवेदन-पत्र के सम्बन्धित स्थान पर अपनी श्रेणी इंगित करें एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति हार्डकॉपी के साथ संलग्न करें। आवेदक को आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को संबद्ध वर्ग में होना चाहिए।
18. आवेदन करने मात्र से आवेदक को सम्बन्धित पद हेतु संवीक्षा परीक्षा अथवा साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित करने की पात्रता नहीं माना जाएगा।
19. विश्वविद्यालय के नियमानुसार, जीवित सन्तानों की संख्या की बाध्यता सम्बन्धी नियम एवं राज्य सरकार में कार्मिकों के आचरण के सम्बन्ध में प्रवर्तित अन्य नियम लागू होंगे।
20. राजस्थान सरकार के आरक्षण नियमानुसार यदि कोई आरक्षण संबंधी प्रावधान देय होंगे तो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय में प्रभावी होंगे तथा बेबसाइट पर दर्शा दिये जायेंगे।
21. अंशदायी पेन्शन योजना, राजस्थान सरकार के नियमों के अनुरूप विश्वविद्यालय में उक्त नियुक्तियों हेतु लागू रहेगी।
22. विश्वविद्यालय / राज्य सरकार के समय-समय पर प्रचलित नियम व प्रावधान उक्त नियुक्तियों पर लागू होंगे।
23. पूर्व से सेवा में नियोजित अभ्यर्थी, आवेदन-पत्र के साथ अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

कुलसचिव